

राजस्थान राज—पत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

श्रावण ६, शुक्रवार, शाके 1939—जुलाई 28, 2017 Sravana 6, Friday, Saka 1939—July 28, 2017

भाग 1 (ख) महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (विधि ग्रुप-2) अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 28, 2017

संख्या प.8(1)/विधि—2/2017 :— विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के पश्चात्, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 को संशोधित कने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. नियम 16 का संशोधन .— राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 16 में विद्यमान अभिव्यक्ति "रूपये 1.25 लाख (रुपये एक लाख पच्चीस हजार)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "रूपये 1,50,000/— (रुपये एक लाख पचास हजार)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से, आशुतोष कुमार मिश्रा, शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विमाग।

LAW & LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT

Law (Gr.2) NOTIFICATION

Jaipur, 28 July, 2017

No.F8 (1)Law/Gr.2/2017: In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Central Act No.39 of 1987), the State Government after consultation with the Chief Justice of the Rajasthan High Court hereby, makes the following Rules further to amend the Rajasthan State Legal Services Authority Rules, 1995, namely:

1. Short title and commencement.- (1) These Rules may be called the Rajasthan State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Rule 16.- In Rule 16 of the Rajasthan State Legal Services Authority Rules, 1995 for the existing expression "Rs. 1.25 lakh (Rupees One lakh & Twenty Five thousand)" the expression "Rs 1,50,000/- (Rupees One lakh & Fifty thousand)" shall be substituted.

By Order of the Governor,
Ashutosh Kumar Mishra,
Secretary to the Government,
LAW & LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT.